

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 10 / 2023

मनोज कुमार पुत्र श्री भगवानसिंह जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व  
जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

- 1-वीरमती देवी बेबा गजेन्द्र सिंह । जाति माली निवासी पक्का बाग तहसील व
- 2-हितेश सैनी पुत्र गजेन्द्र सिंह । जिला भरतपुर
- 3-काजल पुत्री गजेन्द्र सिंह । नाबालिगान व विलायत
- 4-भावेश पुत्री गजेन्द्र सिंह । माता वीरमती देवी खुद
- 5- चिरोजा देवी पत्नी रामजीलाल
- 6-मीना पत्नी टीकम
- 7-मीरा पत्नी कुमार सिंह
- 8-मुन्नी पत्नी विष्णु पुत्री रामजीलाल जाति माली निवासी महावीरजी तहसील  
हिण्डोन जिला करोली
- 9-प्रेमवती पुत्री रामजीलाल जाति माली निवासी पक्का बाग तहसील व जिला  
भरतपुर

.....असल रेष्यो०

- 10-कमलेश पुत्री लता पत्नी किशनसिंह
- 11-आशा पुत्री लता पत्नी प्रमोद कुमार
- 12-भारत पुत्र भगवानसिंह

जाति मीना निवासी पक्का बाग  
भरतपुर

.....तरतीबी रेष्यो०



अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम  
विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 20.4.2016 एवं  
दाखिल खारिज संख्या 1479 कस्वा भरतपुर चक नम्बर 3  
भरतपुर बाबत आराजी खसरा नम्बर 2613 बाके कस्वा  
भरतपुर चक नं. 3

अपील / 11 / 2023

मनोज कुमार पुत्र श्री भगवानसिंह जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व  
जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

.....2  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)

अपील / 10 / 2023

अपील / 11 / 2023

मनोज कुमार बनाम वीरमती वगैरे

- 1-वीरमती देवी बेबा गजेन्द्र सिंह । जाति माली निवासी पक्का बाग तहसील व  
2-हितेष सैनी पुत्र गजेन्द्र सिंह । जिला भरतपुर  
3-काजल पुत्री गजेन्द्र सिंह । नाबालिगान व विलायत  
4-भावेश पुत्री गजेन्द्र सिंह । माता वीरमती देवी खुद } जाति माली निवासी पक्का  
5- चिरोजा देवी पत्नी रामजीलाल } बाग तहसील भरतपुर  
6-मीना पत्नी टीकम  
7-मीरा पत्नी कुमार सिंह  
8-मुन्नी पत्नी विष्णु पुत्री रामजीलाल जाति माली निवासी महावीरजी तहसील  
हिण्डोन जिला करौली  
9-प्रेमवती पुत्री रामजीलाल जाति माली निवासी पक्का बाग तहसील व जिला  
भरतपुर

.....असल रेसपो०

- 10-कमलेश पुत्री लता पत्नी किशनसिंह } जाति मीना निवासी पक्का बाग  
11-आशा पुत्री लता पत्नी प्रमोद कुमार } भरतपुर  
12-भारत पुत्र भगवानसिंह

.....तरतीवी रेसपो०



अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम  
विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 28.2.2022 एवं  
दाखिल खारिज संख्या 1537 कस्वा भरतपुर चक नम्बर 3  
भरतपुर बाबत आराजी खसरा नम्बर 2613 बाके कस्वा  
भरतपुर चक नं. 3

उपस्थित :-

- 1-श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्त,  
2-श्री रमनलाल मित्तल, अभिभाषक रेसपो० 1लगा.9,

निर्णय

दिनांक 16.10.2024

अपीलान्त ने यह अपील विरुद्ध रेसपो० व खिलाफ आदेश तहसीलदार  
भरतपुर नामान्तकरण संख्या 1479 दिनांक 20.4.2016 पेश की गई है। अपीलाधीन  
नामान्तकरण संख्या 1479 दिनांक 20-04-2016 जो कि लतादेवी पत्नी स्व.  
भगवानसिंह जाति मीना, गजेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल, चिरोजादेवी पत्नी रामजीलाल  
.....3

2  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(3)

अपील / 10 / 2023

अपील / 11 / 2023

मनोज कुमार बनाम वीरमती वगैरे

मीना, भीरा, मुन्नी, प्रेमवती पुत्रियों रामजीलाल जाति माली सा. पक्का बाग भरतपुर के हक में स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील पेश की है।

द्वितीय अपील नामान्तकरण संख्या 1537 दिनांक 28.2.22 के खिलाफ पेश की है जिसमें मीना जाति से माली जाति करने का नामान्तकरण खोला जाकर स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. संख्या 1लगा.9 के अभिभाषक श्री रमनलाल मित्तल ने अपना वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसिल है। रेस्पो. संख्या 10,11,12 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उक्त दोनों अपीलों में एक समान पक्षकार है तथा निर्णायक बिन्दू भी एक ही है अतः दोनों अपीलों पर बहस एक साथ सुनी जाकर दोनों अपीलों का एक ही आदेश निस्तारण किया जा रहा है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि गजेन्द्रसिंह व लतादेवी पत्नी स्व. भगवानसिंह की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अपीलान्त व रेस्पो तरतीवी को पक्षकार बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 2613 रकवा 0.31 एअर अपीलान्त व रेस्पो0 तरतीवी की मां लतादेवी पत्नी स्व0 भगवानसिंह जाति मीना की खातेदारी की आराजी है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने बताया कि रेस्पो असल ने एस.डी.ओ. भरतपुर के यहाँ से गलत रूप से डिग्री कराली, योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अपीलान्त जाति से मीना है जो कि अनुसुचित जनजाति में आती है, जब कि रेस्पो0 असल जाति से माली है जो सवर्ण जाति में आते हैं, मीना (अनुसुचित जनजाति) की जमीन पर सवर्ण जाति वालों को खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त का तर्क है कि एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश/डिग्री दिनांक 14.3.2016 के खिलाफ (जिसके आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है) न्यायालय आर.ए.ए.भरतपुर के यहाँ अपील की गई। अपील में न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर अपने आदेश दिनांक 25.1.2024 को अपील स्वीकार करते हुये एस.डी.ओ.भरतपुर द्वारा पारित आदेश/डिग्री दिनांक 14.3.2016 को निरस्त कर दिया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि जब एस.डी.ओ. भरतपुर का निर्णय/डिग्री दिनांक 14.3.2016 निरस्त हो चुका है तो उसके आधार पर खोला गया अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1479 दिनांक 20.4.2016 को निरस्त किया जाना चाहिये परन्तु तहत न्यायालय इस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है।

.....4

2  
जिला कलक्टर  
भरतपुर



आर.ए.ए.भरतपुर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नामान्तकरण निरस्त किया जावे। अपील की तैरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त का यह भी तर्क है कि जब माननीय आर.ए.ए. भरतपुर ने अपील में निर्णय पारित करते हुये एस.डी.ओ. भरतपुर के निर्णय/डिग्री दिनांक 14.3.2016 को निरस्त कर दिया गया है जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1479 जो गीना जाति से माली जाति के नाम खोला गया था, इसके बाद एस.डी.ओ. भरतपुर द्वारा अपने आदेश/डिग्री में हुई गलती का संशोधन आदेश जारी किया गया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1537 खोला गया है जो नियमों के विपरीत है क्योंकि जब एस.डी.ओ. का मूल आदेश निर्णय/डिग्री दिनांक 14.3.2016 ही निरस्त हो गया तो एस.डी.ओ. भरतपुर को अपने आदेश से जाति राही करने का आदेश प्रभावहीन शून्य रहता है। आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय की रिविजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की हुई है परन्तु वहां से कोई रथगन आदेश वगे. जारी नहीं है। अतः उक्त दोनों अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1479 एवं 1537 निरस्त किये जावें। योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने कथनों के समर्थन में रुलिंग आर. वी.जे. 2020 पेज 162, आर.वी.जे. 2020 पेज 653, आर.आर.डी.2001 पेज 53, आर. आर.डी. 1989 पेज 771, उद्धरित करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने एस.डी.ओ.भरतपुर द्वारा पारित डिग्री की इजराय की पालना कर मुताबिक डिग्री नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है। एस.डी.ओ. भरतपुर की डिग्री को न्यायालय आर.ए.ए.भरतपुर ने निरस्त कर दिया है, आर.ए.ए.भरतपुर के आदेश की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की हुई है जो आज भी विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का तर्क है कि अपीलान्त ने धारा 144 जा. दी. का प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. भरतपुर के यहाँ पेश किया हुआ है जो लम्बित है इसलिये यह अपील डिग्री की पालना में किये इन्द्राज के विरुद्ध चलने योग्य नहीं होने से काविल खारिज के है। अपील म्याद बाहर है 7 साल बाद अपील पेश की गई है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद विन्दू पर विचार किया गया।

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(5)

अपील / 10 / 2023

अपील / 11 / 2023

मनोज कुमार बनाम वीरमती वगैरे

म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :-

" Limitation Act, 1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0वी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :-

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नजीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1479 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1479 पर अंकित नोट -

"...न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दावा संख्या 121/2010 निर्णय दिनांक 14.3.2016 इजराय राजस्व/15/2035 दिनांक 6.4.16 .....।"

उक्त नोट से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 1479 दिनांक 20.4.16 को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिग्री दिनांक 14.3.2016 के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है।

चूँकि राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा अपील में अपने निर्णय दिनांक 25.1.2024 से एस.डी.ओ.भरतपुर के निर्णय/डिग्री दिनांक 14.3.2016 को निरस्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1479 दिनांक 20.4.16 निरस्त किये जाने योग्य रहता है।

जहाँ तक प्रश्न द्वितीय अपील में नामान्तकरण संख्या 1537 दिनांक 28.3.22 का है यह नामान्तकरण एस.डी.ओ भरतपुर के आदेश मीना जाति से माली जाति करने के संसोधन आदेश की पालना में खोला गया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब एस.डी.ओ. भरतपुर का मूल आदेश निर्णय/डिग्री दिनांक 14.3.2016 जिसके आधार पर ये नामान्तकरण 1479 खोला गया एवं एस.डी.ओ. द्वारा पुनः आदेश से नामान्तकरण संख्या 1537 खोला गया है। उक्त दोनों ही नामान्तकरण एस.डी.ओ. भरतपुर के आदेश/डिग्री दिनांक

.....6

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर



(6)

अपील / 10 / 2023

अपील / 11 / 2023

मनोज कुमार बनाम वीरमती वगैरे

14.3.2016 की पालना में खोले गये हैं। जब एस.डी.ओ. भरतपुर के आदेश /डिग्री दिनांक 14.3.2016 के आदेश को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25.1.24 से निरस्त कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त दोनों नामान्तरण काबिल खारिज के रहते हैं।

योग्य अभिभाषक यह स्वीकारते हैं कि राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश निर्णय/डिग्री दिनांक 25.1.2024 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. की ओर से विवादित आराजी को लेकर किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त दोनों अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1427 दिनांक 20.4.16 एवं नामान्तरण संख्या 1537 दिनांक 28.2.2022 कस्वा भरतपुर चक नं.3 भरतपुर निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में जो भी निर्णय हो तदनुसार तहसीलदार भरतपुर कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. अमित यादव)

जिला कलक्टर

भरतपुर

